निबंधन संख्या पी0टी0-40

सत्यमेव जयते

बिहार गजट
असाधारण अंक
बिहार सरकार द्वारा प्रकाशित

29 आषाढ़ 1948 (श0)
(सं0 पटना 825) पटना सोमवार 20 जुलाई 2026

खान एवं भूतत्व विभाग

अधिसूचना
18 जुलाई 2026

सं० 04/वी0मु0–20–308/26/4652/एम०—खान और खनिज (विकास और विनियमन) अधिनियम, 1957 की धारा 15 के साथ सह पठित धारा 23(ग) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, बिहार के राज्यपाल बिहार खनिज (समानुदान, अवैध खनन, परिवहन एवं भंडारण निवारण) नियमावली, 2019 में संशोधन हेतु निम्नलिखित नियमावली बनाते हैं:–

1. संक्षिप्त नाम, विस्तार एवं प्रारंभः–

(1) यह बिहार खनिज (समानुदान, अवैध खनन, परिवहन एवं भंडारण निवारण) (द्वितीय संशोधन) नियमावली, 2026 कही जाएगी।

(2) इसका विस्तार सम्पूर्ण बिंहार राज्य में होगा।

(3) यह इसके राजपत्र में प्रकाशन की तिथि से प्रवृत्त होगी।

2. बिहार खनिज (समानुदान, अवैध खनन, परिवहन एवं भंडारण निवारण) नियमावली, 2019 के नियम–14 में संशोधन। –

(1) **उक्त नियमावली के नियम 14(क) में शब्द समूह ''किसी भी लघु खनिज'' को ''किसी भी विशिष्ट लघु खनिज'' से प्रतिस्थापित किया जाएगा।**

(2) **उक्त नियमावली के नियम 14(क) के बाद निम्नलिखित स्पष्टीकरण जोड़ा जाएगा :–**
स्पष्टीकरण : इन नियमों के प्रयोजन के लिए पद (term) ''200 (दो सौ) हेक्टेयर से अधिक नहीं होगा'' शब्द का अर्थ राज्य के अन्दर बालू, पत्थर और/या किसी अन्य विशिष्ट लघु खनिज के लिए एक ही व्यक्ति द्वारा धारित सभी खनिज समानुदान का कुल संयुक्त क्षेत्रफल होगा।

(3) **उक्त नियमावली के नियम 14(ख) में नया परन्तुक निम्न प्रकार जोड़ा जाएगा :–**
परन्तु जिला में अवस्थित पत्थर भूखण्डों की बंदोबस्ती के उद्देश्य से आवश्यकतानुसार जहाँ कहीं संभव हो सके उसे संहृत/जुड़े हुए खण्डों में विखण्डित किया जा सकेगा।

3. बिहार खनिज (समानुदान, अवैध खनन, परिवहन एवं भंडारण निवारण) नियमावली, 2019 के नियम–22 में संशोधन।–

उक्त नियमावली के नियम 22 के उप नियम (2) की कंडिका (ग) निम्न प्रकार प्रतिस्थापित किया जाएगा :–

उच्चतम डाकवक्ता नीलामी के 05 कार्य दिवस के अन्दर नीलामी राशि का 25 प्रतिशत राशि (इस प्रयोजनार्थ अग्रधन समायोजन योग्य है) जमा करेगा और उसके बाद सैद्धांतिक स्वीकृत्यादेश समाहर्त्ता/राज्य सरकार द्वारा यथा प्राधिकृत किसी पदाधिकारी द्वारा उसके नाम से निर्गत किया जाएगा। प्रतिभूति राशि बंदोबस्ती अवधि की समाप्ति के बाद लौटायी जाएगी, यदि खनन पट्टा धारक भुगतान में अन्यथा व्यतिक्रमी न हो। असफल बीडर की दशा में अग्रधन जमा राशि को समाहर्त्ता द्वारा अधिकत्तम 10 दिनों में वापस कर दी जाएगी। प्रतिभूति जमा पर कोई ब्याज देय नहीं होगा।

4. बिहार खनिज (समानुदान, अवैध खनन, परिवहन एवं भंडारण निवारण) नियमावली, 2019 के नियम–39 में संशोधन। –

उक्त नियमावली के नियम 39 के उप नियम (4) के द्वितीय परंतुक को निम्न प्रकार प्रतिस्थापित किया जाएगा :–

परन्तु यह और कि विभाग द्वारा तय की गयी शर्त्तों पर पट्टा क्षेत्र की सीमा से अधिकतम दो किलोमीटर की परिधि में पट्टाधारक को तथा निर्माण स्थल से 500 मीटर के परिधि में निर्माण कार्य में सीधे तौर पर लगे कार्य संवेदक को संबंधित कार्य विभाग की अनुशंसा पर विभाग मोबाइल क्रशर सहित किसी क्रशर की स्थापना की अनुमति दे सकेगा।

आदेश से,
अवनीश कुमार सिंह,
सरकार के सचिव।

The 18th July2026

No. 04/V.MU.-20-308/26/4652/M— In exercise of the powers conferred by section 15 read with section 23C of the Mines and Minerals (Development and Regulation) Act, 1957, the Governor of Bihar hereby makes the following rules further to amend the Bihar Minerals (Concession, Prevention of Illegal Mining, Transportation and Storage) Rules, 2019 :-

1. Short title, extent and commencement:-

(1) These rules shall be called the Bihar Minerals (Concession, Prevention of Illegal Mining, Transportation and Storage) (Second Amendment) Rules, 2026.

(2) It shall extend to the whole of the State of Bihar.

(3) It shall come into force from the date of its publication in the Gazette.

2. Amendment in Rule 14 of Bihar Minerals (Concession, Prevention of Illegal Mining, Transportation and Storage) Rules, 2019. -

(1) In the said Rules word group **"any minor mineral"** shall be substituted by word group **"any particular minor mineral"** in Rule 14 (a).

(2) In the said Rules the following explanation shall be added after Rule 14(a).-

Explanation: For the purpose of these rules, the term "shall not exceed 200 (Two hundred) hectares" shall mean the total combined area of all mineral concessions held by the same person for sand, stone and/or any other minor mineral within the State.

(3) In the said Rules the following new proviso shall be added in Rule 14(b).-

Provided that stone block situated in district, that may be divided into compact/contiguous blocks as per requirement wherever possible for the purpose of settlement.

3. Amendment in sub rule (2) of Rule 22 Bihar Minerals (Concession, Prevention of Illegal Mining, Transportation and Storage) Rules, 2019. -

In the said Rules clause (c) of Rule 22(2) shall be substituted as follows.-

(c) The highest bidder shall deposit 25% of the auction mount as security (earnest money is adjustable for this purpose) within 05 working days of the auction and thereafter an in-principle sanction order (LOI) shall be issued in his favour by the Collector/ Any officer so authorized by the State Government. The amount of security shall be refunded after expiry of the settlement period, if the mining lease holder is not otherwise defaulter in payment. In case of unsuccessful bidders the earnest money shall be refunded by the Collector within maximum 10 days. No interest shall run on the security deposit.

4. Amendment in Rule 39 of Bihar Minerals (Concession, Prevention of Illegal Mining, Transportation and Storage) Rules, 2019. -

In the said Rules second proviso of Rule 39(4) of shall be substituted as follows :

Provided further that the department may allow installation of any crusher including mobile crusher within a periphery of maximum Two kilometers of the lease hold boundary to the lease holder and within 500 meters of construction site to the works contractor directly engaged in construction activity on recommendation of concerned works department on conditions as decided by the department.

By order of,
Avaneesh Kumar Singh,
Secretary to the Government.

अधीक्षक, सचिवालय मुद्रणालय,
बिहार, पटना द्वारा प्रकाशित एवं मुद्रित।
बिहार गजट (असाधारण) 825-571+10-डी०टी०पी०
Website: https://egazette.bihar.gov.in